न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 52/2019 **(RCMS No. 2019/00098)**

वादी

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिरदाराम जाट निवासी गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हनुमानराम पुत्र बालूराम
2. हरिसिंह पुत्र बालूराम
3. गुमानी पत्नि बालूराम
4. श्रवण देवी पुत्री बालूराम
5. संतोष पुत्री बालूराम
6. भंवरी पुत्री नानूराम
7. फाखादेवी उर्फ भागूदेवी पुत्री नानूराम
8. किसनाराम पुत्र बालूराम
9. सुभाष पुत्र बिरदाराम
10. सोहनी पत्नि बिरदाराम
11. रामादेवी पत्नि नारायणराम
12. सुरेश पुत्र नारायणराम
13. नन्दू पुत्री नारायणराम
14. सुमेर पुत्री नारायणराम
15. किस्तुरी पुत्री बिरदाराम
16. रामेश्वरी देवी पुत्री बिरदाराम जाति समस्त जाट निवासीगण गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

दावा– बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 12 एवं 13 से 15 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनॉक :– 30.9.2019

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा पृथक–पृथक निवास करते है वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 हैक्टर खसरा नम्बर 474/0.58 हैक्टर वाके सरहद करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी में स्थित है पक्षकारान के मध्य मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका है जिसमें वादी, प्रतिवादी

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सं. 9 ता 16 के बंट व कब्जे काश्त के उपर वर्णित खसरा नम्बरान आया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही हे प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के बंट मे ग्राम गोमथलिया पटवार हल्का डाकीपुरा भू.अ.निरीक्षक धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खसरा नम्बर 1119 रकबा 20बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1117 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1124 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1278/1106 रकबा 03बीघा 07 बिस्वा आया हुआ है, उपरोक्त खसरान में प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का किसी प्रकार हक अधिकार व कब्जा काश्त नही है, प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ग्राम गोमथलिया की ढ़ाणी अवस्थित भूमि पर काबिज है एवं उपर वर्णित खसरा नम्बरान में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 16 का कब्जा काश्त है, वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम राजस्व रेकर्ड में होने से दावा बाबत घोषणा खातेदारी बंटवारा व रेकर्ड दुरूस्ती,स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 हैक्टर खसरा नम्बर 474/36 रकबा 0.58 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 16 के नाम भूमि रखी जावे। वादीगण का सजरा खानदान निम्नवत है :-

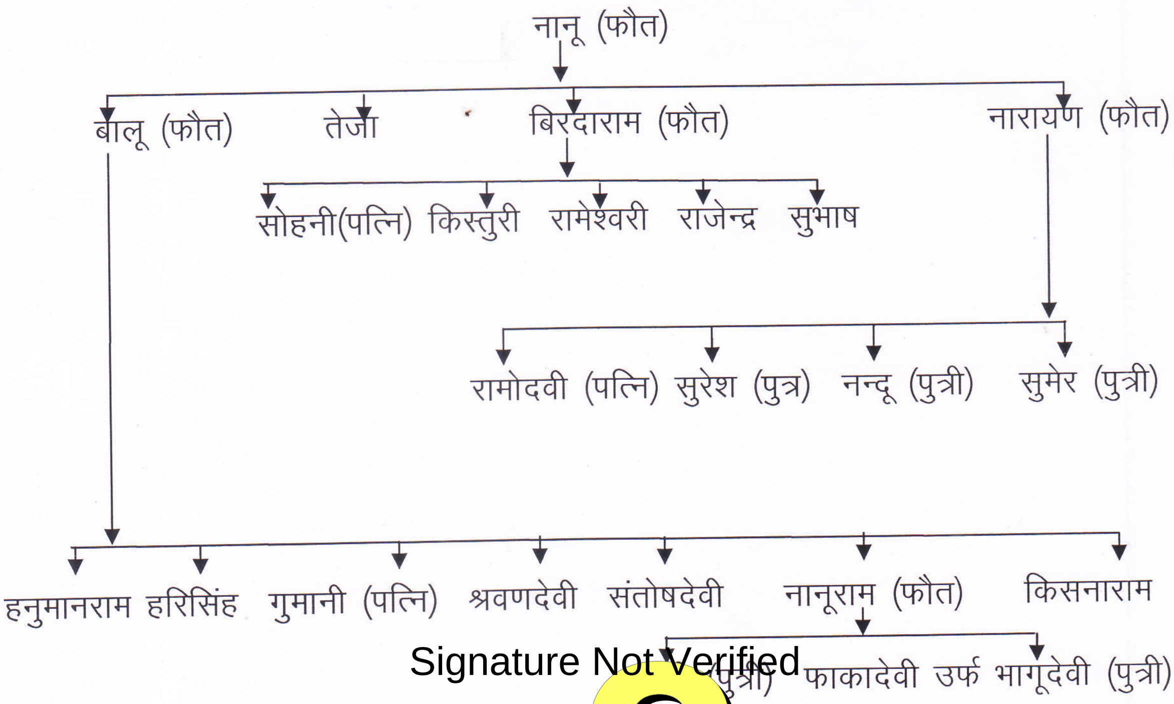

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 13 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 1 ता 12, 14 से 16 ने दिनॉक 19.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान द्वारा दिनॉक 19.08.2019 को राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है

....3....

उपखण्ड अधिकारी

कि उभय पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईस व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, मौजा ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 हैक्टर खसरा नम्बर 4747/36 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण 9 ता 16 के कब्जे काश्त व स्वामित्व की आई हुई हे जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 का कोई हक हिस्सा नही होने से उपरोक्त खसरान की भूमि से प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का नाम हटवाया जाना आवश्यक है अतः उक्त अनुसार राजीनामा प्रस्तुत करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में सम्वत 2048–51, 2052–55, सम्वत 2056–59, 2060–63, एवं चालू जमाबन्दी नकले प्रस्तुत की।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस दौरान कथन किया है कि राजीनामा मुताबिक वाद डिक्री किया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पति रही है, नकल खतौनी सम्वत 2048–2051 अनुसार बालू तेजा बिरदा नारायण पि. नानू जाट गौमथलिया की ढ़ाणी ग्राम धनकोली तहसील डीडवाना खातेदार खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 खसरा नम्बर 474 रकबा 0.58 हैक्ट दर्ज है एवं सम्वत 2052–2055 में भी उक्त अनुसार प्रविष्टि दर्ज है नकल खतौनी सम्वत 2056–59 2048–2051 अनुसार बालू तेजा बिरदा नारायण पि. नानू जाट गौमथलिया की ढ़ाणी ग्राम धनकोली तहसील डीडवाना खातेदार खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 खसरा नम्बर 474 रकबा 0.58 हैक्ट दर्ज है नामा.सं. 98 दिनॉक 8.5.2000 बिरदाराम की जगह सोहनी पत्नि बिरदा राजेन्द्र प्रसाद सुभाष पि. बिरदाराम दर्ज किया गया। सम्वत 2060–2063 में 2048–2051 अनुसार बालू तेजा नारायण पि. नानू सोहनी पत्नि बिरदा राजेन्द्र प्रसाद सुभाष पि. बिरदाराम जाट गौमथलिया की ढ़ाणी ग्राम धनकोली तहसील डीडवाना खातेदार खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 खसरा नम्बर 474 रकबा 0.58 हैक्ट दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–79 अनुसार ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 हैक्टर खसरा नम्बर 474/36 रकबा 0.58 हैक्टर कुल रकबा 8.82 हैक्टर में किशनाराम पुत्र बालूराम हिस्सा1/20, किस्तूरी देवी पुत्री बिरदाराम हिस्सा 1/100, गुमानीदेवी पत्नि बालूराम हिस्सा 1/20, नन्दूदेवी पुत्री नारायणराम हिस्सा 1/80, फाकादेवी पुत्री नानूराम हिस्सा 1/20, भंवरीदेवी पुत्री नानूराम हिस्सा1/20, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र बिरदाराम हिस्सा 7/75 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी, रामेश्वरी देवी पुत्री बिरदाराम हिस्सा 1/100, रामादेवी पत्नि नारायणराम हिस्सा 11[illegible] राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी, सुभाष पुत्र [illegible] राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी, सुमेर पुत्री नारायणराम हिस्सा [illegible]/80, सुरेश पुत्र नारायणराम हिस्सा 11/80 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया [illegible]या, सोहनी पत्नि बिरदा हिस्सा 7/75 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी, हणमानराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/20, हरिसिंह पुत्र बालूराम हिस्सा 1/20 जाति जाट गोमथलिया की ढ़ाणी ग्राम धनकोली

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested

....4....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तहसील डीडवाना खातेदार दर्ज है। उपलब्ध रेकार्ड राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा ग्राम गोमथलिया में भी इनकी दूसरी भूमि खसरा नम्बर 1119, 1117, 1124, 1278/1106 आई हुई है जिसका प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना में जैरकार है जिसमे भी पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत कर आपसी सहमति से बंटवारा कराने का निवेदन किया है, ग्राम गोमथलिया की ढ़ाणी के उपरोक्त खसरान की भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के हिस्से में रखना चाहते है तथा करकेडी के खसरा नम्बर 36 एवं 474/36 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 16 के हिस्से में रखना चाहते है जिसका जिक्र वाद पत्र में पक्षकारान ने किया है, मुताबिक राजीनामा वाद काबिल डिक्री योग्य पाया जाने से वाद वादी डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 474/36 रकबा 0.58 हैक्टर कुल रकबा 8.82 हैक्टर में से प्रतिवादी 1 से 8 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 30/9/2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 52/2019 **(RCMS No. 2019/00098)**

वादी

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिरदाराम जाट निवासी गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हनुमानराम पुत्र बालूराम
2. हरिसिंह पुत्र बालूराम
3. गुमानी पत्नि बालूराम
4. श्रवण देवी पुत्री बालूराम
5. संतोष पुत्री बालूराम
6. भंवरी पुत्री नानूराम
7. फाखादेवी उर्फ भागूदेवी पुत्री नानूराम
8. किसनाराम पुत्र बालूराम
9. सुभाष पुत्र बिरदाराम
10. सोहनी पत्नि बिरदाराम
11. रामादेवी पत्नि नारायणराम
12. सुरेश पुत्र नारायणराम
13. नन्दू पुत्री नारायणराम
14. सुमेर पुत्री नारायणराम
15. किस्तुरी पुत्री बिरदाराम
16. रामेश्वरी देवी पुत्री बिरदाराम जाति समस्त जाट निवासीगण गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना

दावा– बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 12 एवं 14 से 16 की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 474/36 रकबा 0.58 हैक्टर कुल रकबा 8.82 हैक्टर में से प्रतिवादी 1 से 8 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .... माह .... सन् 2019 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर)

दस्तखत................
ओहदा................

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested